

सार्वजनिक सूचना
कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 99(1) के अन्तर्गत क्लेमेन्ट टाउन छावनी के सभी सम्मानित जनता को अवगत कराना है कि वर्ष 2023-2024 से सम्बन्धित सम्पत्ति कर के **प्रोविजनल बिल भारत सरकार के ई-छावनी पोर्टल (<http://echhawani.gov.in/citizen>) के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं जिसके अनुसार बिल भुगतान की तिथि दिनांक 30/06/2023 तक निर्धारित है। यदि किसी करदाता द्वारा उपरोक्त अवधि तक भुगतान नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में:-

1. डिमाण्ड नोटिस शुल्क रु0 100/-प्रति नोटिस छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100(2) के अन्तर्गत करदाता द्वारा देय होगा।
2. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 102(1) के अन्तर्गत भुगतान नहीं करने की स्थिति में अवशेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करदाता द्वारा अलग से किया जायेगा।

अतः ऐसे सभी करदाता जिनके द्वारा अपने सम्पत्ति कर का भुगतान अभी तक कार्यालय को नहीं किया गया है वे उपरोक्तानुसार 30/06/2023 तक अपनी अपनी सम्पत्ति कर का भुगतान करने का कष्ट करें।

पुनः यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश बिल प्राप्त नहीं हो पाया है अथवा बिल में किसी प्रकार की त्रुटि अंकित हो, तो किसी भी कार्यदिवस के दिन कार्यालय से सम्पर्क करते हुए बिल प्राप्त किया जा सकता है अथवा त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है।

**इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रैवार्षिक संपत्ति कर निर्धारण होना है, अतः त्रैवार्षिक संपत्ति कर निर्धारण पूर्ण हो जाने पर सप्लिमेंटरी बिल जारी कर दिये जायेंगे।

जनहित में जारी।

पत्रांक-264/सी0बी0सी0/462
दिनांक: 15.05.2023


मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन